न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 77/2017

1 कल्याण सिंह दत्तक पुत्र धूड़मल जाति दरोगा निवासी अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्रवण सिंह जति दरोगा निवासी अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 उप पंजियक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.06.2016 मुकदमा नम्बर 49/2015 उनवानी श्रीमती रतन कंवर बनाम कल्याण सिंह आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.02.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम अभयपुरा उप तहसील पलसाना की भूमि खसरा नम्बर 707/999, 708 से 710, 813 से 816, 684, 693, 699, 707/988 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य, तर्कों का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर बिन्दुवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट की स्व अर्जित भूमि है, पैतृक भूमि नहीं है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का दावा ही चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में निर्णय पारित करने की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि के संदर्भ में विवादित भूमि पैतृक है अथवा नहीं, अपीलांट की स्व-अर्जित है अथवा नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

इस तथ्य का निर्धारण मूलवाद में उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व वाद के निर्णय तक पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति को परिवर्तित नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर